

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ/सेवा.निवृत्त/2018/2247 जयपुर,दिनांक: 18.5.18

:: आ दे रा ::

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवापिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री विरधीलाल नागर	पं.स. खानपुर (झालावाड़)	31.05.2018
2	श्री राधेश्याम नागर	पं.स. पिड़ावा मु.सुनेल (झालावाड़)	31.07.2018
3	श्री हरिराम गुर्जर	पं.स. खेतडी (झुंझुनू)	30.09.2018
4	श्री मगराज	पं.स. पाली	30.06.2018
5	श्री बरकत अली अंसारी	पं.स. रोहट (पाली)	31.08.2018
6	श्री विजय सिंह	पं.स. धौलपुर	31.12.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं है।

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,




(पूनम प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. जिला सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़ झुंझुनू, पाली, धौलपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणिकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित
5. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली



संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त